न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 163/2025 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

बिनोद कुमार जैन ------------------------ प्रथम पक्ष

बनाम्

बसंती देवी ------------------------ द्वितीय पक्ष

आदेश

05/12/25	उभय पक्ष द्वारा दाखिल कारण पृच्छा का अध्ययन एवं मूल्यांकन करने, उभय पक्ष द्वारा दाखिल राजस्व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन एवं मूल्यांकन करने, अंचल अधिकारी बगोदर के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने तथा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि उभय पक्ष के मध्य सीमांकन को लेकर विवाद है। अतः यदि उभय पक्ष की जमाबन्दी वैध (Valid) है तो विधिसम्मत प्रक्रिया से सीमांकन करने से इस विवाद का समाधान हो सकता है। अतः अंचल अधिकारी, बगोदर को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष के भूमि का विधिसम्मत तथा विहित प्रक्रिया से सीमांकन सुनिश्चित करेंगे। सीमांकन हेतु उभय पक्ष विधिवत आवेदन भी अंचल अधिकारी, बगोदर को प्रस्तुत करेंगे। सीमांकन के क्रम में कोई भी पक्ष दुसरे पक्ष को अवैध रूप से बेदखल (unlawfully dispossess) करने का प्रयास नहीं करेंगे। उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्ष, थाना प्रभारी बगोदर तथा अंचल अधिकारी, बगोदर को अनुपालन हेतु भेंजे। लेखापित एवं संशोधित (हस्ताक्षर) 05/12/25 — अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (हस्ताक्षर) 05/12/25 — अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया

Digitally signed by localhost
Date: 2025.12.18 11:59:32 +05:30
Location: 10.93.146.77